

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव।

संख्या 1876/21-एल0बी0सी0 / 2019

दिनांक 19 सितम्बर, 2019

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या-1606/नौ-8-2019-53ज/2018 टी.सी. दिनांक 02.08.2019 के क्रम में नगर पंचायत, बीघापुर जनपद उन्नाव में पं० दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं अधिकतम जन उपयोगी अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यो को सम्मिलित कर सुव्यवस्थित रूप से विकसित किये जाने एवं उनके समेकित विकास हेतु कार्ययोजना/डीपीआर तैयार करने व परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान अनुश्रवण हेतु एक अनुभवी आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर जिसे कम से कम 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो, का चयन किया जाना है। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थी से प्रस्ताव/आवेदन पत्र दिनांक 26.09.2019 तक आमन्त्रित किये जाते हैं। आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पारदर्शी तरीके से किया जायेगा। चयनित आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान अनुश्रवण भी किया जायेगा। कार्ययोजना/डीपीआर तैयार करने व परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान अनुश्रवण हेतु परियोजना मूल्य का अधिकतम 02 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जायेगा, जो परियोजना मूल्य में सम्मिलित रहेगा। चयन सम्बन्धी सूचना पृथक से डाक/ईमेल के माध्यम से दी जायेगी। जनपद की वेबसाइट www.unnao.nic.in पर भी देखा जा सकता है। केवल उन्ही आवेदन पत्रों/प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा, जो निम्न अर्हता/योग्यता पूरी करते हैं:-

- 1- आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर के पास विधिक अर्हता तथा Council of Architecture में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
- 2- बहुआयामी परियोजनाओं (सरकारी/गैर सरकारी) में कार्य करने का 05 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
- 3- आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को पैन धारक होना अनिवार्य है।
- 4- आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को उक्त हेतु बुलाये जाने पर स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।
- 5- आवेदन पत्र/प्रस्ताव जिलाधिकारी, उन्नाव को सम्बोधित दिनांक 26.09.2019 की सायं 5.00 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय, उन्नाव में स्थनीय निकाय सहायक पटल पर प्राप्त हो जाना चाहिए। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव पर विचार नहीं होगा।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, उन्नाव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०), उन्नाव।
2. व्यवस्थापक दैनिक जागरण, कानपुर को अपने समाचार पत्र में शासकीय दरों पर प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की प्रति बिल सहित पत्रावली पर रखने हेतु उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी, उन्नाव।

Devedra Singh
R. Singh
19/09/19